# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई जिला दौसा

## पीठासीन अधिकारी श्री चिम्मनलाल मीना आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई

## उनवान रमेशचन्द बनाम रामस्वरूप

### वाद संख्या–182/2016

दिनांक निर्णय–21.11.2017

प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि एक वाद बाबत दावा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा वादी रमेशचन्द पुत्र गुरगन जाति प्रजापत निवासी आनन्दपुरा तहसील बसवा द्वारा एक वाद पत्र न्यायालय हाजा में दिनांक 28.10.2016 को वादी पक्ष द्वारा पेश कियां। वाद पत्र के अनुसार ग्राम देवाडा पटवार हल्का गुल्लाना तह0 बसवा जिला दौसा में स्थित भूमि खतौनी संख्या नई 54 पुरानी 49 के ख0 नं0 273 रकबा 0.51 है0 बारानी कुल किता एक कुल रकबा 0.51 है0 कुल लगानी 6 रूपये 12 पैसे स्थित है। जिसको आगे चलकर भूमि मुतदाविया के नाम से सम्बोधित किया जावेगा।

भूमि मुतदाविया के वर्णित पैरा नम्बर एक वाद पत्र का अभी सरस नरस के हिसाब से विधिवत तकास्मा नही हुआ है। मौके पर पक्षकारान ने आपसी मन समाई से बांटकर काश्त करते चले आ रहे है। भूमि खतौनी संख्या नयी 54 पुरानी 49 में वादी का 1/2 का 1/5 हिस्सा अर्थात 1/10 हिस्सा है व प्रतिवादी संख्या एक का 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या दो ला0 पांच का प्रत्येक का 1/10 वॉ हिस्सा है। जो दर्ज है तथा उपरोक्त हिस्से अनुसार मौके पर काबिज काश्त है लेकिन बिना विधिवत तकास्मा हुये फसल बोते समय व काटते समय व लगान अदा करते समय पक्षकारान में आपस मे विवाद उत्पन्न हो जाता है तथा कोई भी पक्ष बिना एक दूसरे की सहमति के राज्य सरकार व भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली कृषि सहायता भी प्राप्त नही कर सकते है ऐसी सूरत में भूमि मुतदाविया का सरस नरस के हिसाब से तकास्मा किया जाकर वादी के हिस्से का अलग चक व अलग खाता अलग लगान कायम किया जाकर अलग अलग पास बुके जारी की जाये व इस अमर की डिक्री वादी अपने हक में न्यायालय से प्राप्त करने का अधिकारी है।

21/11/17

उप जिला कलेक्टर
बाँदीकुई (दौसा)

भूमि मुतदाविया वर्णित पैरा नम्बर एक वाद पत्र का सरस नरस के हिसाब से विधिवत तकास्मा किया जाकर वादी का खाता संख्या नया 54 पुराना 49 में वादी का 1/10 हिस्सा का अलग चक व अलग खाता व अलग लगान किया जाकर अलग अलग पास बुके जारी की जावें।

प्रतिवादीगण को दवामि निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की भूमि विवादित को किसी दीगर सख्स को रहन बय रहन करने, पुख्ता निर्माण करने, पेडो को काटने, छांगने से, तथा वादीगण के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की मजाहमत करने से प्रतिबंधित रहें।

पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत 2017 कैम्प बांदीकुई में पेश हुई। वादी, प्रतिवादी एवं वकील पक्षकारान उपस्थित हुए। वादी, प्रतिवादी व वकील द्वारा प्रस्तुत वाद में तकास्मा कराना चाहते है। पक्षकार विवादित भूमि का अपने हिस्से अनुसार बंटवारा कराना चाहते है।

अतः वकील एवं पक्षकारान की सुनवाई एवं राजस्व रिकार्ड का अवलोकन करने के पश्चात दावा वादी प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः तहसीलदार बसवा को आदेश दिये जाते है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य आ0 ख0 नं0 273 रकबा 0.51 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.51 है0 भूमि स्थित वाके रामा देवाडा तह0 बसवा का पक्षकारान के मध्य हिस्से अनुसार उनकी उपस्थिति में सरस नरस व रास्ते आदि का ध्यान रखते हुए कुर्रेजात तैयार कर भिजवाये। आदेश देने के पश्चात तहसीलदार बसवा द्वारा निम्न प्रकार कुरेजात प्रस्तुत किये।

| नाम खातेदार | खसरा नम्बर | रकबा |
|---|---|---|
| रमेश चन्द, विजेन्द्र, माया, कल्ली पि0 गुरगन रामबाई बैरवा पत्नि गुरगन जाति कुम्हार सा0 देह खातेदार | 273/1 | 0.26 |
| | किता 1 | 0.26 है0 |
| रामस्वरूप पुत्र झुंथाराम जाति कुम्हार सा0 देह खातेदार | 273/2 | 0.25 |
| | किता 1 | 0.25 है0 |

प्राप्त कुरेजात पर वादी व प्रतिवादी द्वारा कोई आपत्ति नही की। तत्पश्चात कुरेजात वास्ते विचारार्थ न्यायालय में प्रस्तुत हुए पत्रावली में वादी द्वारा कुरेजात पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गई। इस पर न्यायालय द्वारा वास्ते आदेश पत्रावली रखी गई।

20/11/17

उप जिला कलेक्टर
बांदीकुई (दौसा)

श्रीमानजी,

दिनांक 21.11.2017 को पत्रावली वास्ते आदेश रखने पर न्यायालय द्वारा प्रस्ताव को स्वीकार कर मुताबिक कुरेजात वाद तकास्मा निर्णित करने का निर्णय लिया, इसलिए मुताबिक कुरेजात वाद तकस्मा अंतिम डिग्री किया जाता है। प्रस्ताव में वादी के हिस्से में आए खसरा नम्बर पर प्रतिवादी किसी प्रकार का दखल नही दे। इस बाबत उसे पाबंद किया जाता है। अंतिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

21/11/17

( चिम्मनलाल मीना )
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

उप जिला कलक्टर
बांदीकुई (दौसा)

श्रीमानजी,